

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक— 12 अगस्त, 2016

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 6189 /डॉ० कमल किशोर सिंह, भा०पु०से० (1996), पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 6190 /श्री विवेकानन्द, भा०पु०से० (2008), पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू०), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 6190/पटना, दिनांक - 12 अगस्त, 2016
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 6190/पटना, दिनांक - 12 अगस्त, 2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

संख्या-1/पी1-02/2013 खंड-I गृ.आ.- 6190/पटना, दिनांक - 12 अगस्त, 2016
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक, प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, क्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षावाहिनी/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-2), गृह विभाग, (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना /आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु)/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2 एवं 5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को रक्षित संचिका में संधारण हेतु, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि गत्यादेश तुरंत निर्गत करने की कृपा की जाय ।

सरकार के अपर सचिव